कार्यालय आयुक्त,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म.प्र.
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक / PMS / MBBS / 310 / 2022 / 4175 भोपाल, दिनांक 14/09/2022

प्रति,

आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा
सतपुड़ा भवन भोपाल

विषय—एमबीबीएस पाठ्यक्रम की शुल्क / पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति बाबत।
संदर्भ—म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग भोपाल का पत्र क्रमांक / 485 / म.प्र.नि. वि.वि.वि. आयोग / 2021 दिनांक 28.03.2022

2. प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति सचिवालय भोपाल का पत्र क्रमांक / सचि. / ओसएसडी / 2022 / 290 दिनांक 28.03.2022
3. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रमांक / एफ–12–3 / 2015 / 54–1 दिनांक 19.06.2018.

----00----

विषयांतर्गत पीपुल्स विश्वविद्यालय एवं प्रदेश के अन्य चिकित्सा महाविद्यालय / विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में नीलम पार्क भोपाल तथा सतपुड़ा भवन में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 15 प्रतिशत की कटौती के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों की मांग है कि चिकित्सा महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में प्रवेश के समय उन्हें पूरी फीस छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया। साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के पोर्टल पर भी दर्शित फीस चार्ट में पूर्ण शुल्क का छात्रवृत्ति के रूप में भुगतान का उल्लेख है परंतु पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 15 प्रतिशत की कटौती की जा रही है।

उक्त संदर्भ में अवलोकनीय है कि संदर्भित पत्र क्रमांक 3 की कण्डिका 5.3.6 के अनुसार "एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य शासन के मेडिकल महाविद्यालयों तथा मात्र वे निजी महाविद्यालय जो म.प्र. राज्य में स्थित हैं, में प्रवेश हेतु आयोजित राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) के आधार पर जिन पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया हो उन्हें पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा ....।"

इसी क्रम में म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के अनुसार वर्ष 2019–20 , 2020–21 एवं 2021–22 के एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु आयोग द्वारा जो शुल्क निर्धारित किया गया है उसमें 85 प्रतिशत शैक्षणिक शुल्क तथा 15 प्रतिशत विकास शुल्क सम्मिलित है। इसी प्रकार म.प्र. प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति

प्रवेश univ. 85%. 15%.
100% OBC

सचिवालय भोपाल के संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम में कुल शुल्क में 10 प्रतिशत विकास शुल्क सम्मिलित है।

उक्त आदेशों के परिपालन में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को नियमानुसार एवं पात्रतानुसार शिक्षण शुल्क का भुगतान किया गया है एवं निरंतर किया जा रहा है। अतः समस्त चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को निर्देशित करने का कष्ट करें साथ ही विभाग के पोर्टल पर पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नियमानुसार छात्रवृत्ति भुगतान की जानकारी अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

13/9/2022

(गोपाल चन्द्र डाड)
आयुक्त
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक/PMS/MBBS/310/2022/4176 भोपाल, दिनांक 14/09/2022

प्रतिलिपि–

1. कलेक्टर जिला समस्त (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक संचालक, BC&MW जिला समस्त म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13/9

आयुक्त
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ- 12-3/2015/54-1 ---------- भोपाल दिनांक 19.06.2018

"आदेश"

मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–12–01/11/54–1 दिनांक 12.12.2013 द्वारा पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना को शासित करने वाले संशोधित विनियम 2013 प्रतिस्थापित किये गए हैं।

राज्य शासन द्वारा मंत्रि–परिषद की बैठक दिनांक 05/06/2018 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रतिस्थापित नियमों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

1. नियम कण्डिका क्रमांक 3.11 में संशोधन किया जाता है कि – "ऐसे छात्र, जो पूर्णकाल/अंशकाल नियोजन में हो, इसके पात्र नहीं होंगे, तदापि, नियोजित छात्र, जिन्होंने पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ले ली हो तथा जो पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हों, छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे।

ऐसे नियोजित विद्यार्थी जिनकी आय उनके माता/पिता/अभिभावकों की आय सहित रूपये 3,00,000/– (राशि रूपये तीन लाख) वार्षिक से अधिक न हो, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। इसमें पात्र सभी अनिवार्य देय जो वापिस न करने योग्य हो शुल्क ही देय होगा।

2. नियम कण्डिका क्रमांक 5.1 – अनुरक्षण भत्ता में निम्नानुसार दरें संशोधित की जाती हैं –

क्र	समूह	निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर (रूपये प्रतिमाह)	
		छात्रावासी	गैर छात्रावासी
1	समूह–1 मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, भारतीय चिकित्सा में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पाठ्यक्रम (आयुर्वेद, यूनानी/तिब्बीया तथा होम्योपैथिक) बी.एस.सी (कृषि, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य पाठ्यक्रम) उच्च तकनीकी तथा सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (जो अन्य समूहों में शामिल नहीं हैं) में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ द्वारा संचालित विधि विषय में डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के पाठ्यक्रम सी.पी.एल./सी.ए./सी.एस./एम–फिल/पी.एच.डी/डी.एस.सी/डी.लिट/एल.एल.एम. आदि	रूपये 850/–	रूपये 380/–
2	समूह–2 मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा (आयुर्वेद, यूनानी/तिब्बीया	रूपये 450/–	रूपये 230/–

D:\Local Disk d\letters & files\letter.docx

19.6.18

	तथा होम्योपैथिक) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्रौद्योगिकी, आर्कीटेक्चर तथा मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, होटल प्रबंध/होटल प्रबंध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा तथा उच्चतर पाठ्यक्रम, नर्सिंग तथा फार्मेसी में डिप्लोमा/डिग्री/ पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम, व्यवसाय प्रबंध, चार्टड एवं लागत/निर्माण एकाउन्टेन्सी में डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम।		
3.	समूह–3 बी.ए/बी.एस.सी/बी.काम/बी.एड, समस्त प्रमाण पत्र स्तर के पाठ्यक्रम एवं अन्य जो समूह 1 और 2 में शामिल नहीं है।	रूपये 400/–	रूपये 230/–
4	ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रम जैसे 10+2 प्रणाली में कक्षा 11 तथा 12 और इन्टरमिडियेट परीक्षा आदि	रूपये 400/–	रूपये 230/–

3. नियम कण्डिका क्रमांक 5.3 – फीस में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

5.3.1 विद्यार्थियों को नामांकन/पंजीयन, शिक्षण, खेलकूद, यूनिफार्म, पुस्तकालय, पत्र–पत्रिकाएं, चिकित्सा–जाँच फीस का तथा शैक्षणिक संस्था या विश्वविद्यालय/मंडल को विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाने वाली ऐसी अन्य फीस का भुगतान किया जायेगा परंतु इसमें अवधान राशि, प्रतिपूर्ति जमा जैसी वापसी योग्य जमा रकम में शामिल नहीं होगी एवं यह फीस उसी सीमा तक देय होगी जो किसी शासकीय संस्था (कॉलेज)/शासकीय विश्वविद्यालय में उसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी से ली जाती है।

5.3.2 भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रदेश के अध्ययनरत नियमानुसार पात्रता रखने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों द्वारा देय पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5.3.3 राज्य के शासकीय महाविद्यालय/शासकीय स्वशासी महाविद्यालय/शासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5.3.4 अशासकीय संस्थाओं (कॉलेज)/अशासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियो को शासकीय संस्थाओं (कॉलेज) के बेसिक पाठ्यक्रम में ली जा रही शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

19.6.18

D:\Local Disk d\letters & files\letter.docx

5.3.5 मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित जे.ई.ई. (JEE) मेन्स परीक्षा में पिछड़े वर्ग के जिन विद्यार्थियों की मेरिट रैंक 1.50 लाख तक हो उन्हें पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

5.3.6 एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य शासन के मेडिकल महाविद्यालयों तथा मात्र वे निजी महाविद्यालय जो म.प्र. राज्य में स्थित हैं, में प्रवेश हेतु आयोजित राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर जिन पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया हो उन्हें पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा। शासकीय मेडिकल महाविद्यालय में शिक्षित विद्यार्थी (डॉक्टर) मेधावी छात्र योजना के समान, दो वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉण्ड राशि रूपये दस लाख के रूप में निष्पादित कर संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करेंगे। निजी महाविद्यालय में यह अवधि पांच वर्ष तथा बॉण्ड की राशि रूपये पच्चीस लाख होगी।

उपरोक्तानुसार आदेश शैक्षणिक सत्र 2018–19 से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

19.6.18
(अशोक कुमार मालवीय)
अवर सचिव
म.प्र. शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/एफ 12-3/2015/54-1 भोपाल दिनांक 19-06-2018

प्रतिलिपि –

1. निज सचिव माननीय मंत्री जी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला समस्त की ओर सूचनार्थ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, माननीय मंत्री जी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

19.6.18
अवर सचिव
म.प्र. शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय

कार्यालय: [illegible] ब्लॉक बी-2, भूतल, [illegible], श्यामला हिल्स, भोपाल-462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755-2660481, ई-मेल : afrcmp@gmail.com, वेबसाईट- www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2022/290 दिनांक - 28/3/22

प्रति,

सहायक संचालक,
कार्यालय कलेक्टर (पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण),
बी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, कलेक्टर परिसर,
भोपाल (म.प्र.)

विषय- सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में संचालित एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की शिक्षण शुल्क बावत्।
संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक/पि.वर्ग/2020-21/1998 भोपाल दिनांक 25.03.2022.

***

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सत्र 2020-21 एवं 2021-22 निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा शुल्क विनियमन किया गया है, ऐसी संस्थाओं के शुल्क में 10 प्रतिशत विकास शुल्क समाहित है। अतः 10 प्रतिशत विकास शुल्क की गणना निम्नानुसार की जाकर विकास शुल्क की राशि संस्थावार ज्ञात की जावे।

Growth & Development charges= (Fee fixed by AFRC/1.1) x 0.1

(डॉ. डी.ए.हिण्डोलिया)
सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

पृ. क्रमांक/सचि./ओएसडी/2022/ दिनांक-

प्रतिलिपि-माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ. डी.ए.हिण्डोलिया)
सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र.

क्र. 485/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2021 दिनांक 28/3/22

प्रति,

सहायक संचालक
पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
भोपाल (म.प्र.)

विषय– पाठ्यक्रम एम.बी.बी.एस. शैक्षणिक सत्र 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 मे निर्धारण की गई शिक्षण शुल्क बावत्।

संदर्भ – कार्यालय आयुक्त (पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण) के पत्र क्र./पि.वर्ग/2020–21/1697 भोपाल दिनांक 25.03.2022

उपरोक्त विषय में लेख है की म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल द्वारा प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों की फीस की समीक्षा/निर्धारण का कार्य मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में की जाती है।

वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु आयोग द्वारा एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु जो शुल्क निर्धारित किया गया है, उसमें 85 प्रतिशत शैक्षणिक शुल्क तथा 15 प्रतिशत विकास शुल्क सम्मिलित है।

तदानुसार पत्र आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(अध्यक्ष,म.प्र.नि.वि.वि.वि आ., भोपाल द्वारा अनुमोदित)

28/3/2022

(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्र.........../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2021 भोपाल, दिनांक.....................

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ., भोपाल की ओर सूचानार्थ।
2. गार्ड फाइल।

सचिव
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ- 12-3/2015/54-1 ------------ भोपाल दिनांक 19.06.2018

"आदेश"

मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–12–01/11/54–1 दिनांक 12.12.2013 द्वारा पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना को शासित करने वाले संशोधित विनियम 2013 प्रतिस्थापित किये गए हैं।

राज्य शासन द्वारा मंत्रि–परिषद की बैठक दिनांक 05/06/2018 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रतिस्थापित नियमों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है–

1. नियम कण्डिका क्रमांक 3.11 में संशोधन किया जाता है कि – "ऐसे छात्र, जो पूर्णकाल/अंशकाल नियोजन में हो, इसके पात्र नहीं होंगे, तदापि, नियोजित छात्र, जिन्होंने पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि की अवैतनिक छुट्टी ले ली हो तथा जो पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हों, छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे।

ऐसे नियोजित विद्यार्थी जिनकी आय उनके माता/पिता/अभिभावकों की आय सहित रूपये **3,00,000/– (राशि रूपये तीन लाख)** वार्षिक से अधिक न हो, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। इसमें पात्र सभी अनिवार्य देय जो वापिस न करने योग्य हो शुल्क ही देय होगा।

2. **नियम कण्डिका क्रमांक 5.1 – अनुरक्षण भत्ता में निम्नानुसार दरें संशोधित की जाती हैं –**

क्र	समूह	निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर (रूपये प्रतिमाह)	
		छात्रावासी	गैर छात्रावासी
1	समूह–1 मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, भारतीय चिकित्सा में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पाठ्यक्रम (आयुर्वेद, यूनानी/तिब्बीया तथा होम्योपैथिक) बी.एस.सी (कृषि, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य पाठ्यक्रम) उच्च तकनीकी तथा सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (जो अन्य समूहों में शामिल नहीं हैं) में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ द्वारा संचालित विधि विषय में डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के पाठ्यक्रम सी.पी.एल./सी.ए./सी.एस./एम–फिल/पी.एच.डी/डी.एस.सी/डी.लिट/एल.एल.एम. आदि	रूपये 850/–	रूपये 380/–
2	समूह–2 मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा (आयुर्वेद, यूनानी/तिब्बीया	रूपये 450/–	रूपये 230/–

D:\Local Disk d\letters & files\letter.docx

19.6.18

	तथा होम्योपैथिक) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्रौद्योगिकी, आर्कीटेक्चर तथा मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, होटल प्रबंध/होटल प्रबंध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा तथा उच्चतर पाठ्यक्रम, नर्सिंग तथा फार्मेसी में डिप्लोमा/डिग्री/ पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम, व्यवसाय प्रबंध, चार्टड एवं लागत/निर्माण एकाउन्टेन्सी में डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम।		
3.	समूह–3 बी.ए/बी.एस.सी/बी.काम/बी.एड, समस्त प्रमाण पत्र स्तर के पाठ्यक्रम एवं अन्य जो समूह 1 और 2 में शामिल नहीं है।	रूपये 400/–	रूपये 230/–
4	ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर पाठयक्रम जैसे 10+2 प्रणाली में कक्षा 11 तथा 12 और इन्टरमिडियेट परीक्षा आदि	रूपये 400/–	रूपये 230/–

3. **नियम कण्डिका क्रमांक 5.3 – फीस में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–**

5.3.1 " विद्यार्थियों को नामांकन/पंजीयन, शिक्षण, खेलकूद, यूनिफार्म, पुस्तकालय, पत्र–पत्रिकाएं, चिकित्सा–जाँच फीस का तथा शैक्षणिक संस्था या विश्वविद्यालय/मंडल को विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाने वाली ऐसी अन्य फीस का भुगतान किया जायेगा परंतु इसमें अवधान राशि, प्रतिपूर्ति जमा जैसी वापसी योग्य जमा रकम में शामिल नहीं होगी एवं यह फीस उसी सीमा तक देय होगी जो किसी शासकीय संस्था (कॉलेज)/शासकीय विश्वविद्यालय में उसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी से ली जाती है।

5.3.2 भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रदेश के अध्ययनरत नियमानुसार पात्रता रखने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों द्वारा देय पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5.3.3 राज्य के शासकीय महाविद्यालय/शासकीय स्वशासी महाविद्यालय/शासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5.3.4 अशासकीय संस्थाओं (कॉलेज)/अशासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शासकीय संस्थाओं (कॉलेज) के बेसिक पाठ्यक्रम में ली जा रही शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

19.6.18

D:\Local Disk d\letters & files\letter.docx

5.3.5 मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित जे.ई.ई. (JEE) मेन्स परीक्षा में पिछड़े वर्ग के जिन विद्यार्थियों की मेरिट रैंक 1.50 लाख तक हो उन्हें पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

5.3.6 एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य शासन के मेडिकल महाविद्यालयों तथा मात्र वे निजी महाविद्यालय जो म.प्र. राज्य में स्थित हैं, में प्रवेश हेतु आयोजित राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर जिन पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया हो उन्हें पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा। शासकीय मेडिकल महाविद्यालय में शिक्षित विद्यार्थी (डॉक्टर) मेधावी छात्र योजना के समान, दो वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉण्ड राशि रूपये दस लाख के रूप में निष्पादित कर संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करेंगे। निजी महाविद्यालय में यह अवधि पांच वर्ष तथा बॉण्ड की राशि रूपये पच्चीस लाख होगी।

उपरोक्तानुसार आदेश शैक्षणिक सत्र 2018–19 से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

19.6.18
(अशोक कुमार मालवीय)
अवर सचिव
म.प्र. शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पृ0 कमांक / एफ 12-3/2015/54-1 — भोपाल दिनांक 19.06.2018

प्रतिलिपि –

1. निज सचिव माननीय मंत्री जी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला समस्त की ओर सूचनार्थ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, माननीय मंत्री जी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

19.6.18
अवर सचिव
म.प्र. शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

D:\Local Disk d\letters & files\letter.docx

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/ 785/2018/54-1 भोपाल दिनांक 9-7-2018

"आदेश"

मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–12–01/11/54–1 दिनांक 12.12.2013 द्वारा पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना को शासित करने वाले संशोधित विनियम 2013 प्रतिस्थापित किये गए हैं।

शासन के आदेश कमांक एफ 12–1/2011/54–1 दिनांक 21.09.2016 द्वारा **प्रतिस्थापित नियमों के नियम कमांक 8 भुगतान– अंतर्गत कण्डिका 8.4 में संशोधन किया गया है। शासन द्वारा किये गये संशोधन में निम्नानुसार बिन्दु जोड़ा जाता है –**

8.4.1 प्रदेश की शासकीय संस्थाओं में संचालित केवल बी.ई./एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को योजनांतर्गत स्वीकृत शिक्षण शुल्क,परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्कों का भुगतान सीधे शासकीय संस्थाओं के खाते में ऑनलाईन करते हुए अनुरक्षण भंत्ता का भुगतान सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खातों में ऑनलाईन हस्तांतरित किया जाए।

उपरोक्तानुसार आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

9.7.18
(अशोक कुमार मालवीय)
अवर सचिव
म.प्र. शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/ 786/2018/54-1 भोपाल दिनांक 9-7-2018

प्रतिलिपि –

1. निज सचिव माननीय मंत्री जी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला समस्त की ओर सूचनार्थ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, माननीय मंत्री जी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जिला समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

9.7.18
अवर सचिव
म.प्र. शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 7–28/2009/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 04/02/2014

प्रति

अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।

विषयः– अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के मापदण्डों में संशोधन तथा एकजाईकरण ।

संदर्भः– सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7–18/2000/आ.प्र./ एक, दिनांक 25.02.2003, 25.08.2012 एवं 02.07.2013

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 25.02.2003 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये (क्रीमीलेयर) के मापदण्ड जारी किये गये है, जिन्हें परिपत्र दिनांक 25 अगस्त 2012 द्वारा पुनः एकजाई एवं संशोधित रूप में जारी किये गये हैं ।

2/ विभिन्न स्तरो से समय–समय पर क्रीमिलेयर के संबंध मे स्पष्टीकरण चाहा जाता है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ने ज्ञापन क्रमांक 36033/5/2004-Estt (Res) दिनांक 14–10–2004 द्वारा क्रीमिलेयर के संबंध में अनेक प्रावधानों से संबंधित शंकाओं

निरंतर....2

बेटी है तो कल है

का समाधान किया गया है, जो अग्रलिखित है :–

क्र0	प्रावधान	स्पष्टीकरण
(i)	क्या उन माता–पिता के पुत्र एवं पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जायेगा जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त **श्रेणी–I / समूह "क"** अधिकारी हो और सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनमें से एक की अथवा दोनों की मृत्यु हो जाये अथवा स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये ?	(क) माता–पिता मे से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती से नियुक्त **श्रेणी–1 / समूह 'क'** अधिकारी है और ऐसे नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) की सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाये अथवा वह (वें) स्थायी रूप से अक्षम हो जाएँ;
(ii)	क्या उन माता–पिता के पुत्र एवं पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जायेगा जो दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त **श्रेणी–II समूह "ख"** अधिकारी हो और उनमें से एक की मृत्यु हो जाये अथवा वह स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये ?	(ख) माता–पिता दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त **श्रेणी–II / समूह 'ख'** के अधिकारी हैं और उनमें से एक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी रूप से अक्षम हो जाए, और
(iii)	क्या उन माता–पिता के पुत्र एवं पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जायेगा जो दोनो ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त **श्रेणी II समूह "ख"** अधिकारी हो और सेवानिवृत्ति के पश्चात् दोनों की मृत्यु हो जाये अथवा स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाय, यद्यपि दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी स्थाई अक्षमता से पूर्व इनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि से किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम पॉच वर्ष की अवधि की नियुक्ति की सुविधा प्राप्त की हो ?	(ग) माता–पिता जो दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त **श्रेणी–II / समूह 'ख'** के अधिकारी है और दोनों की ही सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाये अथवा वे स्थायी रूप से अक्षम हो जाये भले ही उनकी ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि जैसे अन्तरराष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 05 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो । संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत नही आते । किन्तु यदि ऐसे मामलों में मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो तो ऐसे माता–पिता के पुत्र एवं पुत्रियाँ संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के अंतर्गत माने जावेगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नही होगा।

बेटी है तो कल है

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>प्रावधान</th><th>स्पष्टीकरण</th></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>क्या कोई ऐसा उम्मीदवार जो स्वयं सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी–1 / समूह "क" अधिकारी हो अथवा सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी II /समूह 'ख' अधिकारी हो और 40 वर्ष की आयु तक या उससे पहले श्रेणी I /समूह 'क' अधिकारी बन गया हो, अपनी सेवा के स्तर के आधार पर संपन्न वर्ग के अंतर्गत माना जावेगा ।</td><td rowspan="3">इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है, कि उम्मीदवारों के संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण उसके माता–पिता के दर्जे के आधार पर किया जाता है, न कि उसकी अपनी हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति / पत्नि की हैसियत अथवा आय के आधार पर । अतः किसी व्यक्ति के संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करते समय उम्मीदवारों की स्वयं की हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति / पत्नि की हैसियत अथवा आय को ध्यान में नहीं रखा जावेगा ।</td></tr>
<tr><td>(vii)</td><td>क्या कोई ऐसा उम्मीदवार सम्पन्न वर्ग के अंतर्गत माना जावेगा जिसकी सकल वार्षिक आय 6.00 लाख रूपये अथवा उससे अधिक हो अथवा लगातार तीन वर्षों से संपत्तिकर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट की सीमा से अधिक संपदा रखता रहा हो ?</td></tr>
<tr><td>(viii)</td><td>अनुदेशों में यह प्रावधान है, कि अन्य पिछड़ा वर्ग की किसी महिला को, जिसका विवाह सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी–I / समूह 'क' अधिकारी के साथ हुआ है, विवाह के आधार पर संपन्न वर्ग के अंतर्गत नही माना जावेगा । अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का कोई ऐसा पुरूष जिसका विवाह सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी–I/समूह 'क' के अधिकारी महिला के साथ हुआ हो, क्या अपने विवाह के आधार पर संपन्न वर्ग के अंतर्गत माना जावेगा ?</td></tr>
</table>

क्र0	प्रावधान	स्पष्टीकरण
	स्पष्टीकरण "वेतन अथवा कृषि भूमि से होने वाली आय को मिलाया नही जायेगा ।" की व्याप्ति की सीमा तक है ?	श्रेणी–VI में दिये गये अनुसार किसी उम्मीदवार के संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करने के लिये आय/संपत्ति परीक्षण लागू करते समय वेतन से होने वाली आय तथा कृषि भूमि से होने वाली आय नही गिना जावेगा । इसका तात्पर्य यह है, कि यदि किसी उम्मीदवार के माता–पिता के वेतन से होने वाली आय **6.00 लाख** रूपये प्रति वर्ष से अधिक हो और कृषि भूमि से होने वाली आय **6.00 लाख** रूपये से अधिक हो किंतु अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय **6.00 लाख** रूपये प्रतिवर्ष से कम हो तो आय/संपत्ति परीक्षण के आधार पर उम्मीदवार को संपन्न वर्ग के अंतर्गत नही माना जावेगा बशर्ते के उसके माता–पिता (दोनों) के पास लगातार तीन वर्षों के अवधि से संपत्ति कर अधिनियम यथा–निर्धारित सीमा से अधिक धन न रहा हो ।

3/ कृपया, अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय उपरोक्त स्पष्टीकरण को दृष्टिगत रखने हेतु सक्षम अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें ।

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 7–28/2009/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 07/02/2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, / अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल / सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल ।
9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
10. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल ।
12. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर ।
13. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण मध्यप्रदेश, भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव / मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

बेटी है तो कल है

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 7–28/2009/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 25 अगस्त, 2012

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये क्रीमीलेयर के मापदण्डों में संशोधन तथा एकजाईकरण।

संदर्भः– सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7–18/2000/आ0प्र0/एक, दिनांक 25–2–2003, दिनांक 28 जुलाई, 2006 एवं एफ 7–28/2009/आ0प्र0/एक, दिनांक 02 जून, 2009.

कृपया विषयांकित संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 25–2–2003 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए क्रीमीलेयर के मापदण्ड जारी किए गए थे तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा क्रीमीलेयर की आय सीमा में वृद्धि करने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा भी संशोधन किया गया है। अनेक माध्यमों से मूल मापदण्डों में आंशिक शाब्दिक त्रुटियों की ओर ध्यानाकर्षित करने के फलस्वरूप उनमें संशोधन तथा समय–समय पर जारी परिपत्रों के प्रावधानों को शामिल कर एकजाई मापदण्ड जारी किए जा रहे है, जो संलग्न है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार.

(आर0के0 गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

..2..

पृ0 क्रमांक एफ 7–28/2009/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 25 अगस्त, 2012

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश मंत्रालय–भोपाल।
4. मुख्य सचिव के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, म0प्र0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपाक्स, जी–87, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल।
14. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309 निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52–ए अरेरा हिल्स, भोपाल।
15. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं. 103 तेजस्वी, अपार्टमेंट द्वितीय तल, द्वारकापुरी पूजा गुप्ता हैदराबाद–500082.
16. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल।
17. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
18. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
19. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

बेटी है तो कल है

कीमीलेयर के मापदण्ड

क.	प्रवर्ग का वर्णन	क.	अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
1	2	3	4
1.	**संवैधानिक पद**	1.	**निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉं)**
		(क)	भारत के राष्ट्रपति
		(ख)	भारत के उपराष्ट्रपति
		(ग)	उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश.
		(घ)	संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक
		(ड़)	समान स्वरूप के संवैधानिक पदों का धारण करने वाले व्यक्ति
2.	**सेवा प्रवर्ग (सर्विस केटेगरी)**		**निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉं)**
(क)	अखिल भारतीय केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं के समूह–ए /वर्ग–1 अधिकारी (सीधी भरती द्वारा नियुक्त)	(क)	जिनके माता पिता दोनो ही वर्ग–I अधिकारी है।
		(ख)	जिनके माता पिता में से कोई एक वर्ग–I अधिकारी है।
		(ग)	जिनके माता पिता में से दोनों ही वर्ग–I अधिकारी हैं किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाता है।
		(घ)	जिनके माता पिता में से एक वर्ग–I अधिकारी है और उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है और उसने ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की सुविधा ली हो।
		(ड़)	जिनके माता पिता दोनो ही वर्ग–I के अधिकारी है तथा जिनकी मृत्यु हो जाती है अथवा जो स्थाई तौर पर अक्षमता के शिकार हो जाते हैं

			और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो। परन्तु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :–
		(i)	उनकी पुत्र एवं पुत्रियां जिनके माता पिता में से कोई एक या दोनों वर्ग–I अधिकारी है किन्तु उसकी/उनकी मृत्यु हो जाती है अथवा स्थाई अक्षमता का शिकार हो जाता है।
		(ii)	अन्य पिछड़े वर्ग की ऐसी महिला जिसका विवाह वर्ग–I अधिकारी से हुआ है, भले ही अधिकारी पिछड़ा वर्ग का हो अथवा नहीं, तथा वह स्वयं नौकरी के लिये आवेदन देना चाहती है।
		(iii)	जिनके माता/पिता में से कोई एक वर्ग–I का अधिकारी है तथा वह सेवा निवृत्त हो चुका है।
(ख)	**केन्द्रीय तथा राज्य सेवा के समूह बी/वर्ग–II के अधिकारी (सीधी भरती) द्वारा नियुक्त।**		**निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉ)**
		(क)	जिनके माता पिता दोनो ही वर्ग–II के अधिकारी है।
		(ख)	जिनके माता पिता में से केवल पति वर्ग–II का अधिकारी है और वह 40 वर्ष की आयु अथवा इससे पूर्व आयु में वर्ग–I अधिकारी बनता है।
		(ग)	जिनके माता पिता दोनों ही वर्ग–II के अधिकारी हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थाई अक्षमता से पूर्व किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।
		(घ)	जिनके माता पिता में से पति वर्ग–I अधिकारी हो (सीधी भरती से नियुक्ति अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नत) तथा पत्नी वर्ग–II अधिकारी हो तथा पत्नी की मृत्यु हो जाय, अथवा अस्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये, तथा

(ङ) जिनके माता पिता में से पत्नी वर्ग–I अधिकारी हो (सीधी भरती से अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नत) एवं पति वर्ग II अधिकारी हो और पति की मृत्यु हो जाये अथवा यह स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये।

परन्तु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :–

निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉ)

(क) जिनके माता पिता दोनो वर्ग–II अधिकारी है किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थाई अक्षमता का शिकार हो जाता है।

(ख) जिनके माता तथा पिता दोनों वर्ग–II अधिकारी हैं तथा दोनों की मृत्यु हो जाती हैं अथवा दोनों ही स्थाई अक्षमता का शिकार हो जाते हैं, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।

(ग) जिनके माता/पिता में से कोई एक वर्ग–II का अधिकारी है तथा वह सेवा निवृत्त हो चुका है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों इत्यादि के कर्मचारी

इस प्रवर्ग में उपर्युक्त "क" तथा "ख" में बताया गया मानदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों पर लागू होगा। साथ ही गैर सरकारी (प्रायवेट) समकक्ष या समतुल्य पदों एवं स्थानों पर कार्यरत अधिकारियों पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होगा। इन संस्थानों में समकक्ष या तुल्य आधार पर पदों का मूल्यांकन लंबित है तो निम्न प्रवर्ग VI में अंकित मापदण्ड इन संस्थानों के अधिकारियों पर लागू होंगे।

3. सशस्त्र सेनाएं जिनमें अर्द्ध सैनिक बल शामिल है (सिविल पदों पर कार्यरत व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है)

उन माता पिता के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉ) जिनमें से कोई एक अथवा दोनो सेना में कर्नल अथवा इससे ऊपर के स्तर पर तथा जल सेना और वायु सेना एव अर्द्ध सैनिक बलों में समकक्ष पदों पर कार्यरत है परन्तु,

(एक) यदि सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी स्वयं सशस्त्र सेना (अर्थात् विचारार्थ प्रवर्ग) में है तो अपवर्जन नियम केवल तब लागू होगा जब वह स्वयं कर्नल के स्तर तक पहुँच जायेगी।

(दो) पति तथा पत्नी के कर्नल के नीचे के स्तर को इकट्ठा नहीं किया जायेगा।

(तीन) यहाँ तक की सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी के सिविल नियुक्ति में होने पर भी अपवर्जन नियम को लागू करने के आशय से इसे मद्देनजर नहीं रखा जायेगा जब तक कि वह पद संख्या–2 के तहत् सेवा के प्रवर्ग में न आ जाए। ऐसे मामले में मानदण्ड तथा उनमें वर्णित शर्तें उस पर स्वतंत्र रूप से लागू होंगी।

विशेष टीप: प्रवर्ग 2 के (क) एवं (ख) तथा प्रवर्ग–3 के अतिरिक्त, किसी भी केन्द्रीय, प्रादेशिक एवं सशस्त्र सेना, जिनमें अर्द्ध सैनिक बल शामिल है, के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर क्रीमीलेयर के अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा।

4.	व्यावसायिक: वर्ग तथा वे जो व्यापार और उद्योग में लगे हुए हो,	प्रवर्ग–6 के समक्ष विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।
(1)	चिकित्सक, वकील, चार्टड अकाउण्टेंट, आयकर परामर्शदाता, वित्तीय या प्रबंध सलाहकार, दंत चिकित्सक, अभियंता वास्तुकार, कम्प्युटर विशेषज्ञ, फिल्म कलाकार तथा अन्य व्यक्ति जिनका व्यवसाय फिल्मों से जुड़ा है, लेखक, नाटककार, पेशेवर खिलाड़ी, खेल व्यवसायी जनसंचार व्यवसायी अथवा समान स्तर के अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति।	
(2)	व्यापार, कारोबार तथा उद्योगों में लगे व्यक्ति	प्रवर्ग–6 के समक्ष विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा। स्पष्टीकरण –

		(1)	चाहे पति किसी व्यवसाय में हो तथा पत्नी वर्ग–2 अथवा निम्न ग्रेड की नियुक्ति में हो, आय/सम्पत्ति का आंकलन केवल पति की आय के आधार पर किया जायेगा।
		(2)	यदि पत्नी किसी व्यवसाय में हो तथा पति वर्ग–2 अथवा निम्न ग्रेड की नियुक्ति में हो, आय/सम्पत्ति का आंकलन केवल पत्नी की आय के आधार पर होगा और पति की आय को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
5.	सम्पत्ति धारक	(एक)	एक ही परिवार (माता–पिता अव्यस्क बच्चे) के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियॉं) जो निम्नलिखित के स्वामी हैं.
(क)	कृषि क्षेत्र	(एक)	सिंचित क्षेत्र प्रवर्ग–6 के समक्ष, विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होंगे
		(दो)	यदि परिवार के पास जोत क्षेत्र है, वह पूर्णतः असिंचित क्षेत्र है, तो अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा।
(ख)	बागान		
(एक)	कॉफी, चाय, रबर आदि		नीचे प्रवर्ग–6 में निर्दिष्ट आय/सम्पत्ति का मानदण्ड लागू होगा।
(दो)	आम, खट्टे फल, सेव के बाग आदि		इन्हें कृषि क्षेत्र समझा जावेगा इसलिए इस प्रवर्ग पर उपरोक्त "क" मापदण्ड लागू होगा।
(ग)	शहरी तथा उप नगरीय क्षेत्रों में भवन और/या खाली भूमि		नीचे प्रवर्ग–6 में विनिर्दिष्ट मापदण्ड लागू होगा। स्पष्टीकरण :– भवन का उपयोग रहने, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये किया जा सकता है या इस तरह के दो या अधिक प्रयोजनों के लिये किया जा सकता है।
6.	आय/सम्पत्ति आंकलन	(क)	उन व्यक्तियों के पुत्र एवं पुत्रियॉं, जिनकी लगातार तीन वर्षो तक की कुल वार्षिक आय (रूपये 4.50 लाख) (रूपये चार लाख पचास हजार) या उससे अधिक है अथवा धनकर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते है।
		(ख)	श्रेणी–I, II, III और V–क में आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ पाने का हकदार है, परन्तु जिनकी अन्य स्त्रोतों से आय अथवा सम्पत्ति जो उन्हें उपर्युक्त (क) में उल्लेखित आय/सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर लाएगी, के पुत्र और पुत्रियॉं।
		(i)	स्पष्टीकरण–वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को संयुक्त रूप से नहीं जोड़ा जाएगा।

Sd/-

(ii) रूपये के मूल्य परिवर्तन के सापेक्ष आय के मानदण्ड में प्रति तीन वर्ष में एक बार संशोधन किया जायेगा।
परिस्थितियों की मांग के अनुरूप अंतर अवधि कम भी हो सकती है।

स्पष्टीकरण :– (1) इस अनुसूची में जहां कहीं भी "स्थायी अक्षमता" का प्रयोग हुआ है, उसका तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके परिणामस्वरूप अधिकारी को सेवा में बनाये नहीं रखा जा सकें।

—x—